180 20 सीपीएसई के कामगारों के वेतन संबंधी बातचीत और अन्य मुद्दों के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के ट्रेड यूनियन की समिति (सीपीएसटीयू) का प्रतिवेदन

चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के ट्रेड यूनियन की समिति द्वारा अपनाए गए दिनांक 17.02.2008 और 18.02. 2008 के संयुक्त घोषणपत्र को अग्रेषित करते हुए विभिन्न संगठनों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, सीपीएसटीयू में एआईटीयूसी, सीआईटीयू और एचएमएस शामिल हैं। सूचीबद्ध की गई मांगों में अन्य बातों के साथ–साथ वेतन करार का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक न होना और 01.04.2004 से 50 प्रतिशत के समतुल्य महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय करना भी शामिल हैं। घोषणापत्र में उनकी मांगों के लिए एक कार्य योजना (कार्यक्रम) सूचीबद्ध की गई है।

2. सीपीएसई के कर्मचारी अपने विभिन्न एसोसिएशनों जैसे नेशनल कंफेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स असोसिएशन (एनसीओए), ऑयल सेक्टर ऑफिसर्स असोसिएशन (ओएसओए) और अन्य ने पहले भी 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने का मुद्दा उठाया था। चूंकि सरकार ने द्वितीय वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार पर 01.01.2007 से महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय कर दिया है, अतः इस बात का उल्लेख किया जाए कि पहली वेतन संशोधन समिति (न्यायाधीश मोहन समिति) ने किसी भी समय महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने की सिफारिश नहीं की थी। द्वितीय वेतन संशोधन समिति की सिफारिश जब कभी भी भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो यह केवल 01.01.2007 से लागू होगी और जैसा कि पर्याप्त विचार करने के पश्चात द्वितीय वेतन संशोधन सिमति ने 01.01.2007 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का मूल वेतन में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

3. जहां तक यूनियनबद्ध कामगारों के संदर्भ में वेतन संशोधन की अवधि का संबंध है, तो वेतन संबंधी बातचीत के 7वें दौर के लिए नीति में 10 वर्ष की अवधि का प्रावधान किया गया है। तथापि विभिन्न असोसिएशनों, यूनियनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अपने मंत्री के अनुमोदन से मामला दर मामला आधार पर सीपीएसई के कामगारों के यूनियनों से वेतन निर्धारण अवधि में परिवर्तन करने संबंधी दावों (5 वर्ष से किसी भी सूरत में कम नहीं) पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं । (दिनांक 01 मई 2008 के कार्यालय की प्रतिलिपि संलग्न हैं) ।

4. प्रशानिक मंत्रालयों/विभागों से अलग–अलग आधार पर स्थिति से निपटने और आवश्यक होने पर सीपीएसई के प्रबंधन को संबंधित असोसिएशनों/ट्रेड यूनियनों को स्थिति स्पष्ट करने के लिए सलाह देने हेतु अनुरोध है।

5. यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2(7)/05–डीपीई (डब्ल्यूसी)–भाग –जीएल–**VII,** दिनांक 01 मई 2008)

*****